

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 338 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2017—आषाढ़ 16, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2017

क्र. एफ-ए-3-51-2017-1-पांच (70).—मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की अनुसूची 2 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 70-क की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है और एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक दिन का अवसान होने पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग 2 के अनुक्रमांक 56 के सम्मुख, कॉलम (3) में अंक "5" के स्थान पर अंक "18" स्थापित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2017

क्र. एफ-ए-3-51-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की सूचना क्रमांक एफ.ए. 3-51-2017-1-पांच (70), दिनांक 07 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

## NOTICE

Bhopal, the 7<sup>th</sup> July 2017

No. F-A-3-51-2017-1-V-(70).—The Following draft of amendment in the Schedule II to the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) is hereby published as required by the proviso to sub-section (1) of Section 70-A of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of **One** day from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the date specified above may be considered by the State Government.

## DRAFT OF AMENDMENTS

In Schedule II, Part-II, of the said Act, against serial No. 56, in column (3) for the figure "5" the figure "18" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.